

परिशिष्ट-I

क्र.	टारि/रा.उ. /अभ्यास्यो का नाम	पंजीकृत डीजल वाहन संख्या		प्रति वाहन स्वीकृत पर्यटक सीटें	
		हल्का डीजल वाहन (L.M.V)	मिनी बस या समकक्ष	हल्का वाहन (L.M.V)	मिनी बस या समकक्ष
1	कांन्हा टारि.	13	3	6	18
2	पैद्य टारि.	10	1	6	18
3	बांधवाड टारि.	3	2	6	18
4	पन्ना टारि.	2	0	6	0
5	वन विहार रा.उ.	0	1	0	10

टीप - अन्य राष्ट्रीय उद्यानो एवं अभयारण्यो में भी जहाँ अंजीकृत पर्यटक वाहनो को प्रवेश की अनुमति है, म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक / एफ-14-82 / 88/10-2 दिनांक 07.10.2011 के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जाती है।



अनुमान अधिकाारी
मुख्य कल्याणी अभिरक्षक एवं
वन विभाग का निदेश
भंडारा

J. Agre 17.7.12

मुख्य कल्याणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य दन सरक्षक (कल्याणी), म.प्र.